<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपीडी/टीए/4039/2005/जोधपुर</u>

खानूराम पुत्र सालूराम के कायम मुकाम
1 खमाणा पुत्र खानूराम मेघवाल (फौत)
1/1 गंगारमा पुत्र खमाणाराम
1/2 पन्नाराम पुत्र खमाणाराम
1/3 मंगलराम पुत्र खमाणाराम
2 गोमदराम पुत्र खानूराम
3 मूलाराम पुत्र खानूराम
4 हरचन्द्र पुत्र घनाराम
5 वीरूराम पुत्र घनाराम
6 चेतनाराम पुत्र घनाराम
7 श्रीमती राधा स्त्री घनाराम
8 मीरा बेवा खानूराम सभी जाति मेघवाल निवासी ढढू तहसील फलौदी जिला जोधपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

सोहनसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत निवासी ओसिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री सतवीरसिंह वकील अपीलार्थीगण
श्री योगेन्द्रसिंह वकील प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः.19.9.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 28/2005(55/2004) में पारित निर्णय दिनांक 24.6.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89, 188 व 92ए के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, फलोदी के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढढू की आराजी खसरा नम्बर 430 रकबा 158 बीघा 13 बिस्वा पर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त सैटलमेन्ट के पूर्व से चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन भी वादीगण काबिज काश्त थे। परन्तु भूल से उक्त आराजी का पर्चा लगान गावं के जागीरदार आईदानसिंह, सूरतसिंह वगैरा के नाम जारी हो गया। वादीगण की रहवासी ढाणिंया बनी हुई हैं। प्रतिवादी सोहनसिंह ने रंजिश कर उक्त खेत का नामान्तरकरण पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम करा लिया जबकि जागीरदार द्वारा वादीगण के नाम बक्शीशनामा दिया गया है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की तथा निर्णय दिनांक 28.10.2002 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णयदिनांक 24.6.2005 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात अपीलार्थीगण के पूर्वजों को तत्कालीन जागीरदार से प्राप्त हुइ थी। अपीलार्थीगण पूर्व जागीरदार के सब टिनेन्ट थे। जागीर उन्मूलन अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर वादीगण स्वतः खातेदार बन गये। अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हो गया। राजस्व अभिलेख में अमल नहीं होने मात्र से वादी अपीलार्थीगण के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से वादी अपीलार्थीगण ने अपना कब्जा काश्त होना साबित कराया है। प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने विवादित भूमि उसके ससूर मानसिंह से प्राप्त होना बताया है। उनके ससूर मानसिंह का सिर्फ 1/6 हिस्सा है, प्राप्त होना कथन किया है परन्तु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा गिरदावरी कब्जे का पुख्ता सबूत है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी पर कभी भी वादी अपीलार्थीगण का हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू के होने के समय विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कब्जे के अनुसार ही पर्चा लगान जारी किया गया था। विवादित आराजी प्रतिवादी के ससूर मानसिंह

के हिस्से की थी जिससे प्रतिवादी को प्राप्त हुई हैं। वादीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उनका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हो। मात्र एक वर्ष की गिरदावरी स्लिप में नाम अंकित होने के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आराजी प्रतिवादी के खातेदारी में राजस्व अभिलेख में सम्वत 2036 से 2039 व 2041 से 2044 की जमाबन्दी में दर्ज होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होना मानते हुए समवर्ती निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 में प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज है। वादी अपीलार्थीगण द्वारा प्रदर्श 1 गिरदावरी स्लिप सम्वत 2013 प्रस्तुत की गई है जिसमें सालू पुत्र लादू का नाम दर्ज है। परन्तु वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा इससे पूर्व अथवा इसके पश्चात का कोई ऐसा राजस्व अधिकार अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विवादित भूमि उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की होना साबित होता हो। खसरा गिरदावरी रेकर्ड आफ राइट नहीं है तथा मात्र एक वर्ष की गिरदावरी स्लिप में वादीगण के पूर्वज का नाम अंकित होने मात्र से उन्हें विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व जागीर उन्मूलन अधिनियम प्रभाव में आने के समय वादी अपीलार्थीगण का सब टिनेन्ट के रूप में कब्जा काश्त होना कथन किया है परन्तु वादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य जमाबन्दी आदि प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वे सब टिनेन्ट होना साबित हो सके। मौखिक साक्ष्यों से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। ऐसी स्थिति में हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 24.6.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य